

Participants : Shukla Smt. Karuna, Varma Shri Ratilal Kalidas, Koli Shri Ramswaroop, Kanodia Shri Mahesh Kumar, Dasmunsi Shri Priya Ranjan, Mohale Shri Punnulal

an>

Title : Regarding reservation to SCs and STs in Minority Educational Institutions.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, आज सारे देश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग दुखी हैं। कई जगह पर बाढ़ होते हुए, रास्ते बन्द होते हुए भी हजारों की संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति और भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के लोग जन्तर-मन्तर रोड पर हजारों की संख्या में धरना दे रहे हैं, क्योंकि इसी सदन के अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को जो पढ़ाई के लिए सहयोग मिल रहा था, वह छीन लिया गया है।

संविधान की धारा 15(5) के अनुसार सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश देने हेतु आवश्यक कानून बना सकती है। लेकिन माननीय मंत्री जो कानून लाये थे और जो पास किया, उसके अन्दर इतना गलत हुआ है कि ये अल्पमती की जो संस्थाएं होंगी, उनमें ईसाई और मुस्लिम धर्म की जो संस्थाएं हैं, उनमें अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को एडमीशन नहीं मिलेगा। यह एक तरह से अन्याय है। इस समाज के लोग इस देश में रह रहे हैं और वहां एडमीशन नहीं मिलेगा तो वे कहां पढ़ने जाएंगे। लेकिन इस कानून से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मुक्त कर दिया गया है, उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई है। अगर उनकी इच्छा हो तो वे एडमीशन दे सकते हैं। हर तरह से एक के बाद एक इस सरकार के द्वारा मदद लेती हैं, हर तरह का सहयोग प्राप्त करती हैं तो हर स्तर का सहयोग जहां प्राप्त करती हों, वहां अनुसूचित जाति जनजाति को वही अधिकार मिलना चाहिए, जो डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने दिया है कि हर जगह प्रवेश पाने के लिए वे हकदार हैं।

जब सरकार प्राइवेट कम्पनियों को, प्राइवेट फैक्ट्रियों को, प्राइवेट इण्डस्ट्रीज़ को रिजर्वेशन कायम रखने के लिए दबाव डाल रही है तो सरकार के द्वारा सहयोग प्राप्त करने वाली ईसाई संस्थाओं और मुस्लिम संस्थाओं पर क्यों दबाव नहीं डाल रही, उनको मुक्त कर दिया। मुझे लगता है, सरकार ने ईसाई धर्म के लोगों को और मुस्लिम धर्म के लोगों को खुश करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ अन्याय किया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने 50 साल तक अंधानुकरण करके आंख मूंदकर कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम किया है। आज उनके ही सही करने का काम ये लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे मांग है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्था कानून विधेयक लोक सभा में पारित करते समय माननीय फातमी जी ने कहा था, उनकी मंशा उस वक्त मालूम पड़ गई थी, उन्होंने उस वक्त अपनी मंशा दिखाते हुए कहा था कि संविधान की संशोधित धारा 15(5) के अनुसार किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था में पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र को प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। यह उन्होंने हाउस में कहा।... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: He is already speaking. Do not buttress him. It is being recorded. You are only disturbing him.

... (Interruptions)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपरोक्त कानून के अंतर्गत आप के द्वारा मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अल्पसंख्यक समुदाय को नयी शिक्षण संस्थाएं खोलने का जो अधिकार देना है, उसको रोकना चाहिए। जब तक आप परमीशन नहीं देंगे, तब तक यह नहीं होगा, इसलिए आप उनको एडमीशन देने की व्यवस्था करें। सरकार के सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है, उसको आपने मार डाला है। सर्व शिक्षा अभियान सब के लिए है।... (व्यवधान) अंत में मेरी केंद्र सरकार से यह मांग है कि संविधान की धारा 15(5) में संशोधन करके उस प्रावधान को हटा दें। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रवेश देने से मुक्त कर दिया है।

MR. SPEAKER: We have agreed for only half-an-hour to be spent for discussing matters of urgent public importance.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Varma, I have allowed you. You cannot do this. You cannot speak for ten minutes.

... (*Interruptions*)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : इस संशोधन के अनुरूप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 में भी संशोधन किया जाए, ताकि सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में उनको भी शिक्षा मिल सके। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Mahesh Kanodia, Shrimati Karuna Shukla, Shri Punnu Lal Mohale and Shri Ramswaroop Koli have been associated with this matter.

Now, Shri Gaurishanker Chaturbuj Bisen to speak now. Please do not disturb your own Member. He is raising a very important issue. I would not allow anything else. You can go on shouting. I would not allow.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please send your slip.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, I emphatically deny all the allegations leveled against the Government in so far as the SC, ST and Minorities are concerned by Shri Ratilal Kalidas Varma.

First of all, I can substantiate them when the debate takes place. The UPA Government has given the highest attention in all sectors so far as the upliftment of the SC and ST, OBC and Minorities without any discrimination. If you try to make an issue of it, it is your own politics and not the policy of the UPA Government. We are upholding their rights more than any other Government in this country. ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Gaurishanker Chaturbuj Bisen to speak now.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing else will be recorded. Please do not disturb your Member. Nothing is being recorded.

(*Interruptions*)*

MR. SPEAKER: He is raising a very important matter. I have called your Member. He is raising a very important matter about floods in Madhya Pradesh. You are disturbing him.

... (*Interruptions*)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। ...(व्यवधान) यह पहली बार हो रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। सभी लोग एक साथ नहीं अपनी बात नहीं कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

*Not Recorded.

MR. SPEAKER: Then, let me adjourn the House till tomorrow. I think, you do not want the House to function.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Only what Shri Gaurishanker Chaturbhuj Bisen says will go on record and nothing else will be recorded.

(*Interruptions*)*

MR. SPEAKER: It is very unfortunate. You please see some of the letters to the editors that have been published today. Are you feeling proud that the people are criticising us?

... (*Interruptions*)